

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशासित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित द्वारा	प्राधिकरण का निर्णय
1.	10423/2023	1 (a)	सतना	व्हाईट अर्थ खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण Delisted
2.	10687/2023	1 (a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण Delisted
3.	9898/2023	1 (a)	मण्डला	डोलोमाईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण Delisted
4.	10781/2023	1 (a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण Delisted
5.	10892/2023	1 (a)	अशोक नगर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10963/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	8626/2021	1 (a)	अनूपपुर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
8.	7673/2020	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
9.	P2/596/2024	8 (a)	उज्जैन	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	P2/510/2024	1 (a)	मन्दसौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित
11.	P2/582/2024	1 (a)	बुरहानपुर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	P2/597/2024	1 (a)	देवास	मुरुम एवं पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

13.	P2/609/2024	1 (a)	खण्डवा	पत्थर खदान	Online case not received in SEIAA	Deferred
14.	9294/2022	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
15.	9295/2022	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि	स्वीकृत
16.	P2/504/2024	1 (a)	शिवपुरी	फर्शीपत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	P2/505/2024	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	10559/2023	5 (e)	भिण्ड	उद्योग	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	10583/2023	3 (a)	धार	उद्योग	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशासित नहीं	निरस्त
20.	9926/2023	8 (b)	इन्दौर	एरिया एवं टाउनशिप डेवलपमेंट	ToR में संशोधन	स्वीकृत
21.	P2/536/2024	8 (b)	इन्दौर	एरिया एवं टाउनशिप डेवलपमेंट	For ToR	स्पष्टीकरण
22.	10663/2023	5 (f)	झाबुआ	उद्योग	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित
23.	P2/550/2024	5 (f)	भिण्ड	उद्योग	For ToR	स्वीकृत
24.	P2/610/2024	1 (c)	खण्डवा	सिंचाई परियोजना	For ToR	स्वीकृत
25.	P2/611/2024	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	612/2024	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	P2/499/2024	5 (a)	मन्दसौर	उद्योग	For ToR	स्वीकृत
28.	11157/2024	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	10747/2023	8 (a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	10992/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR में संशोधन	स्वीकृत
31.	10998/2023	1 (a)	श्योपुर	मिट्टी खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
32.	11055/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	Online case not received in SEIAA	Deferred

1. प्रकरण क्र. 10423/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप कुमार जैन, निवासी- पारस कॉलोनी, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा व्हाईट अर्थ खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.995 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 512/2, ग्राम परसरामपुर, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 713 वी बैठक दिनांक 11.01.2024 एवं 735 वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि खदान क्षेत्र के चारो ओर स्थित मानव बसाहट व उससे निर्धारित दूरी छोड़ने (गैर खनन 1.33 हे.) के पश्चात् खनन हेतु 3.53 हे. उपलब्ध होता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 10687/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अम्बुज जैन, आत्मज श्री अजय कुमार जैन निवासी-वार्ड क्र. -13, मकान नं. 472, बघराजी, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16055 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.900 हेक्टेयर, खसरा 85, 89/1, ग्राम भरद्वारा माल, तहसील शहपुरा, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण मे चैन सिंह वरकड़े विधायक, ओंकार चैचाम एवं अर्जुन सिंह व अन्य के द्वारा प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर प्रस्तावित खदान के संबध मे निम्नानुसार शिकायत कि गई:-

1. प्रस्तावित खदान की लीज स्वीकृत हेतु संलग्न की गई ग्राम पंचायत अनापत्ति फर्जी एवं गलत हैं। इस हेतु नाटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. प्रस्तावित खदान में यदि केशर स्थापित किया जाता है तो समीपस्थ कृषि भूमि एवं खदान से 20 मीटर की दूरी पर स्थित नाला जो कि पशुओं के पानी पीने स्रोत है पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
3. प्रस्तावित खदान के 30 मीटर की दूरी पर पक्की नहर स्थित है, जोकि कृषको के लिये सिंचाई का मुख्य स्रोत है। यदि उक्त स्थल पर उत्खनन कार्य किया जाता है तो नहर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि प्राप्त शिकायत के उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत कलेक्टर, जिला डिण्डोरी से प्रकरण की वास्तु स्थिति हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी के साथ प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृति/संचालित खदानों की जानकारी भी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. प्रकरण क्र 9898 / 2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. मिनरल्स प्रा. लिमि. प्रो. श्री देवेन्द्र शिवहरे, इन्द्रा नगर, कबरई जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,01,204 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, (SEAC द्वारा अनुसंशित रकबा 3.80 हे) खसरा 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 एवं 700/2, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

".....SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में स्थित 22 पेड के विषय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इनमें से 12 पेड काटे जायेंगे एवं 10 पेड संरक्षित रखे जावेंगे। समिति ने निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र में काटे जाने वाले वृक्ष के विरुद्ध 20 गुना अतिरिक्त आम के पौधे लगाकर आम की बगीचा तैयार करें।..."

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के आम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10781 / 2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष गोयल, डायरेक्टर मेसर्स इंड मिनरल्स एक्सपोलरर्स प्रा. लिमि. निवासी- 201, श्री कृष्णम् अपार्टमेंट, नार्थ अम्बाझिरी रोड, जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32490 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.84 हेक्टेयर, खसरा 141पी, ग्राम मालाजुआन, तहसील सौसर, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEAC 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की अनुशंसा अनुसार पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र का पुनरीक्षित Surface Map तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त प्रस्तुत किया। मेप में नॉन माईनेबल एरिया (2.11 हे.) के रूप में संरक्षित रखे जाने हेतु एवं 2.73 हे खनन योग्य हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं परियोजना प्रस्तावक ने बताया की लीज क्षेत्र के नॉन माईनेबल एरिया में लगभग 225 पेड लगा दिये गये है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध क्षेत्र का पुर्नरीक्षित Surface Map का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर SEAC में प्रस्तुत किया। जबकि उपरोक्त जानकारी अनिवार्यतः भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आनलाईन अपलोड की जानी है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर आनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10892/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम खजेरा नाई, पो. भैंसरवास शढ़ौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 31, ग्राम - खजेरा नाई, पो. भैंसरवास शढ़ौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के लीज अनुबन्ध दिनांक 30.06.2017 के माध्यम से 10 वर्ष (दिनांक 21.04.2017 से 20.04.2027) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 20.04.2027तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. प्रकरण क्र. 10963/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम अंजाना निवासी केसुंदा, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 29100, घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 42/1, ग्राम – जेथाना, तहसील पिपलोदा जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 14.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. प्रकरण क्र. 8626/2021 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 6.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1763, 95/1, ग्राम गोबरी, तहसील जैतहारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 एवं 735 वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 190 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण निरस्त (Reject) किया जाता। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 7673/2020 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,960 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 266/1, ग्राम बारकच्छ, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 721वी बैठक दिनांक 06.02.2024 एवं 735 वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशेष शर्तों (Special Conditions) सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीच-बीच एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार,

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण निरस्त (Reject) किया जाता। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

9. **Case No. - P2/596/2024:** Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "Unity Mall" by Ujjain Development Authority (M.P.) at Khasra No. 3686/1, 3685/1, 3683/1/1, Net Plot Area- 32000 sq.m., Total Built-up Area-55775 sq.m. by Shri Kailash Patidar Executive Engineer (Ujjain Development Authority) C-46/6, Rishi Nagar Extension - 2, Ujjain, Distt.- Ujjain (M.P.) 456010 Cat. - 8(a). Building and Construction. Email: udaujain@gmail.com Mob No. 9826579595 SIA/MP/INFRA2/465394/2024

- उक्त प्रकरण उज्जैन विकास प्राधिकरण (म.प्र.) द्वारा खसरा नंबर 3686/1, 3685/1, 3683/1/1 महाकाल मंदिर रोड़, हरिफाटक ब्रिज के पास, उज्जैन नगर (म.प्र.) में यूनिटी मॉल के नेट प्लॉट एरिया- 32000 वर्गमीटर, प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र 55775 वर्गमीटर के प्रस्तावित निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
- ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
- उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 735 वीं दिनांक 02.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 31 से 42 तक अंकित है।
- परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/465394/2024.
Submission date	11/03/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 735 meeting dated 02.04.2024,
Location of the Project	Latitude 23°09'58.3" N Longitude 75°46'29.3" E
Name of Applicant	Shri Kailash Patidar Executive Engineer (Ujjain Development Authority) C-46/6, Rishi Nagar Extension - 2, Ujjain, Distt.- Ujjain (M.P.)
Project details	UDA proposing the construction of MP's first "Unity Mall". This will act as a one stop market place for promotion and sale of One District One Product, GI Product, Handicraft Product and

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

	other local products. There will be shops to display the products of all the districts in the state. Cat. 8(a) Building Construction Projects.
Total plot area	Net Plot Area- 32000 sq.m.
Total Built-up Area	55775 sq.m
Facilities proposed	Shops, Restaurant, Food Court, Multiplex
Water requirement & Sources	Total Water Requirement: 97.97 KLD Source of Fresh Water: Applied to Nagar Nigam, Ujjain on 21.02.24
Fresh Water	37.27 KLD
Waste water generated	68.11 KLD
Recycled Water	Treated/Recycled Water 60.70 KLD
Capacity & Technology of STP	STP capacity: 80 KLD Treated sewage utilization /discharge: 61.3 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 38.29 KLD shall be utilized for the purpose of flushing and 22.41 KLD use in green area. However, the rest of 0.6 KLD treated water will be discharged to the municipal drains..
RWH	5recharge pits will be constructed for harvesting rain water.
Solid Waste Generation	Total waste 592.1Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 355.26 Kg/day and non- organic waste 177.63 Kg/day), Inert waste 59.21 Kg/day, E- waste 616.86Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
Building Height	Building (B+G+3), Convention Centre (G+4)
Parking	Totalproposed parking arrangement of 535 ECS (114 ECS Lower Basement and 421 ECS Upper Basement)
Railway Station:	Railway Station –1.37 km, Ujjain
Nearest Airport:	Airport –Devi AhilyaBai Airport50KM
Envt. Sensitivity: Areas which are important or sensitive for ecological reasons Wetlands, water courses or other water bodies, biospheres, mountains, forests etc.	Kshipra River situated at a distance of 0.4 km Shree Mahakaleshwar Temple 1.9 km
Project Cost	28400 Lakhs.
EMP Cost	For Environment Management PlanPP has proposed Rs.1190 Lacs as capital and Rs. 128 Lacs as recurring cost for this project.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs426Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	820 KVA Source: Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. 02 no DG sets of 320 KVA and 500 KVA each
Greenbelt area	Total 611trees & 7260 Shrubs of different species shall be planted in the area of 3850 m ² (12 %) within the project site.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 735 वीं बैठक दिनांक 02.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 840 वीं बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- परियोजना प्रस्तावक T & CP से से परियोजना की ले आउट की स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत ही परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।
- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्षिप्रा नदी परियोजना स्थल से 400 मीटर की दूरी पर है, अतः परियोजना प्रस्तावक सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में दूषित जल-नदी की ओर नहीं छोड़ा जाये। परियोजना में उत्पन्न ट्रीटेड वाटर का पुनोपयोग पूर्ण रूप से किया जाये।
- परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 20% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।

10. प्रकरण क्र. P2/510/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष गुप्ता, निवासी म.न. जी-127, महु नीमच रोड़, डी.आर.पी. लाईन के सामने मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17,9,93 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 173, ग्राम - भंडारिया, तहसील दलौदा जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735 वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तावित खदान से 119 मीटर की दूरी पर विंड मिल स्थित है एवं PP submitted that 23 trees and 40 shrubs are existing of which 15 trees and 25 shrubs.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र 119 मीटर की दूरी पर विंड मिल परिलक्षित है, जिससे नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के उपरांत खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। तथा लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा जाना है अथवा नहीं ? अनुशंसा स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त संवेदनशीलता की दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. P2/582/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक अग्रवाल, डायरेक्टर बी.एन.ए इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लिमि. निवासी 30, तुलसी हिन्दू हाउसिंग सोसायटी, तपी नगर भूसांवी जिला जलगांव (महाराष्ट्र) द्वारा पत्थर एवं मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150000 एवं 76895 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 1552, ग्राम - ईच्छापुर, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 103 दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से 02 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो ।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये ।


12. प्रकरण क्र. P2/597/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र कुमार पोरवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमि. निवासी 6, सजीत मार्ग, मन्दसौर, (म.प्र.) द्वारा मुरुम एवं पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57404 एवं 250000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3. 848 हेक्टेयर, खसरा 869/1, 869/2, 869/3, 878/5, 878/6 ग्राम – करनावद, तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2987 दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से दिनांक 31.10.2024 तक की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 31.10.2024 तक वैध मान्य रहेगी ।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा ।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें ।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो ।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. P2/609/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री नैना राम विश्‍नोई, पार्टनर, दयाल कन्‍स्ट्रक्‍शन कं‍पनी, निवासी तेजा राम जयरुप नगर बेनान, पिपर सिटी, बेनान जोधपुर, (राजस्थान) (म.प्र.) द्वारा पत्‍थर खदान, उत्पादन क्षमता 59347 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्‍टेयर, खसरा 329, ग्राम – सिवाना, तहसील खण्डवा जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्‍वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्‍तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य स्‍तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। अतः प्रकरण को Defer किया जाता है। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र 9294/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रवि इन्‍फ्राबिल्‍ड प्रोजेक्‍ट प्रा.लि., संचालक श्री दिलीप सिंह राव, 95, हिरन मगरी सेक्‍टर-11, जिला उदयपुर (राज.) द्वारा पत्‍थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 129360 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्‍टेयर, खसरा 1/7, ग्राम बोलखेड़ा, तहसील झारड़ा, जिला उज्‍जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्‍वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

- राज्य स्‍तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735 वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्‍त प्रकरण में की गई अनुसंशानंसार " आवेदक के आवेदन दिनांक 15.02.2024 के साथ उनके द्वारा एन.एच.ए.आई का पत्र दिनांक 17.10.2022 संलग्न किया गया है। अनुमोदन के दौरान Appointed Date उपलब्‍ध नहीं होने से अनुबंध दिनांक से योजना कि वैधता की अवधि की गणना की गयी थी। अतः यह शुद्धि पत्र जारी किया जाता है कि Appointed Date 17.10.2022 उल्लेखित होने से अस्थायी उत्‍खनन अनुज्ञा की खनन योजना के स्‍वीकृत पत्र में योजना कि वैधता दिनांक 03.12.2023 के स्थान पर Appointed Date 17.10.2022 से 600 दिवस अर्थात दिनांक 08.06.2024 तक वैध होगी।

पूर्व पर्यावरणीय स्‍वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) निम्‍नलिखित शर्तों को 6 माह अर्थात (दिनांक 08.06.2024) तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अनुसंशा की गई है।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.10.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.54 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 5माह में पूर्ण किये जाय :-

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में	कार्य हुआ	Remark
1	ग्राम बोलखेड़ा के स्कूल की पुताई	80000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
2	ग्राम पंचायत एवं सामूहिक भवन में सोलर लाइट	20000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

3	ग्राम वासियों की स्वस्थ जाँच कैम्प	25000	25000	पूर्ण किया गया
	कुल	1,25,000	25000	100000/-

इसके अतिरिक्त ग्राम बोलखेडा की गौ.शाला को 50000/- रुपए की मिट्टीए आंगनवाड़ी को 50000/- की राशि एवं ग्राम वासियों के लिए रोड सुधार का कार्य भी किया गया है कुल 150000 का अतिरिक्त कार्य ग्राम पंचायत के सुझाव से किये गए हैं जिसके प्रमाण पत्र MPSEIAA में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

3. ग्राम बोलखेडा में लगाए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 4800 में 750वृक्षों का रोपण हुआ शेष 4050 वृक्षों का रोपण आगामी 5माह में लगाए जाएंगे

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	रोपण हुए (संख्या में)	Remark
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	सागौन, महारूख, सलाई, नीलगिरी सुबबूल, एवं बांश	1500	250	1250 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्री-गार्ड के साथ	500	500	पूर्ण किया गया
3	बोलखेडा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	300	0	आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
4	बोलखेडा एवं काबरिया खेडी के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	2500	0	आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श एवं SEAC की उपरोक्त अनुसंशा को मान्य करते हुये प्रकरण मे जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मे 6 माह अर्थात (दिनांक 08.06.2024) तक वृद्धि किये जाने का निणय लिया गया है। प्रकरण में दिनांक 09.11.2022 द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष शर्त यथावत रहेगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबधितो को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र 9295/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रवि इन्फ्राबिल्ड प्रोजेक्ट प्रा.लि., संचालक श्री दिलीप सिंह राव, 95, हिरन मगरी सेक्टर-11, जिला उदयपुर (राज.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,17,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 116, ग्राम खोरियापदमा, तहसील झारड़ा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति की वैधता वृद्धि के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735 वी बैडक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में की गई अनुसंशानंसार " आवेदक के आवेदन दिनांक 15.02.2024 के साथ उनके द्वारा एन.एच.ए.आई का पत्र दिनांक 17.10.2022 संलग्न किया गया है। अनुमोदन के दौरान Appointed Date उपलब्ध नही होने से अनुबंध दिनांक से योजना की वैधता की अवधि की गणना की गयी थी। अतः यह शुद्धि पत्र जारी किया जाता है कि

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Appointed Date 17.10.2022 उल्लेखित होने से अस्थाई उत्खनन अनुज्ञा की खनन योजना के स्वीकृत पत्र में योजना कि वैधता दिनांक 03.12.2023 के स्थान पर Appointed Date 17.10.2022 से 600 दिवस अर्थात् दिनांक 08.06.2024 तक वैध होगी ।”

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि (Extension of EC Validity) निम्नलिखित शर्तों को 6 माह अर्थात् (दिनांक 08.06.2024) तक पूर्ण करने की शर्त के साथ अनुसंशा की गई है।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.8.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.34 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 5माह में पूर्ण किये जाय :-

क्र.	सीईआर गतिविधिया	राशि रु. में	कार्य हुआ	Remark
1	ग्राम खोरिया-पदमा के आंगनवाड़ी की पुताई एवं मरम्मत	50000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
2	ग्राम वासियों को नल जल योजना में दिए गए पानी कनेक्शन में टोटियो नहीं दी गई हैए पानी के संरक्षण हेतु नल की टोटियो का बितरण 500 X 30	15000	0	आगामी 5 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा
3	ग्राम वासियों की स्वास्थ्य जाँच कैम्प	25000	25000	पूर्ण किया गया
	कुल	90,000	25000	65000/-

- ग्राम खोरिया-पदमा में लगाए जाने वाले पेड़ों की कुल संख्या 3500 में 350वृक्षों का रोपण हुआ शेष 3150 वृक्षों का रोपण आगाम माह में लगाए जाएंगे

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	रोपण हुए (संख्या में)	Remark
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. x 795m.)	सागौन, महारूख, सलाई, नीलगिरी सुबबूल, एवं बांश	1200	250	950 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ	600	100	500 आगामी 5 माह में लगाए जाएंगे
3	खोरिया पदमा स्कूल, पंचायत एवं आंगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	200	0	200 आगामी 5 माह में

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

					लगाए जाएंगे
4	खोरिया-पदमा एवं नलखेडा के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	1500	0	1500 आगामी 5 माह में वितरण करंगे
<p>❖ वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिचाई, मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव) ।</p> <p>❖ वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।</p> <p>❖ लीज बाउंड्री (680मी.) के चारो ओर नेट वायर फेंसिंग की जाएगी।</p> <p>❖ गारलैंड ड्रेन के समानांतर नीम बबूल व प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा के बीज बोई जाएगी</p>					

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श एवं SEAC की उपरोक्त अनुसंशा को मान्य करते हुये प्रकरण मे जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मे 6 माह अर्थात (दिनांक 08.06.2024) तक वृद्धि किये जाने का निणय लिया गया है। प्रकरण में दिनांक 09.11.2022 द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. P2/504/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री मन्ना यादव, निवासी ग्राम – बेदमओ, तहसील – बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4,899 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 191, 192, 193 एवं 496 ग्राम – बेदमओ, तहसील – बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुसंशा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुसंशा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश क्र. 5957 दिनांक 17.08.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.08.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का कार्यवाही विवरण

दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सक्रिया आरंभ की जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- IV. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस-पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

17. Case No. P-2/505/24: Prior Environment Clearance for M/s. Century 21 Office Space Pvt. Ltd. is proposing to construct Commercial project at Plot No. 33, Scheme No. 139, Super Corridor, Indore (M.P.) Total Land Area - 5400 sq.m., Total Built-up Area - 27721 sq.m by Shri Karan Singh Chhabra, Director, 11th Floor, C21 Business Park, C21 Square, Opposite Radisson Blue Hotel, MR-10, INDORE (M.P.) 452010 . Cat. 8(a) Building Construction Projects. SIA/MP/INFRA2/455424/2023

1. उक्त प्रकरणमेसर्स सेंचुरी 21 ऑफिस स्पेस प्रा. लिमिटेड द्वारा प्लॉट नंबर 33, स्कीम नंबर 139, सुपर कॉरिडोर, इंदौर (म.प्र.) में वाणिज्यिक परियोजना के निर्माण हेतुपूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का लैंड एरिया 5400 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 27721वर्ग मीटर है।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 12 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/455424/2023
Submission date	31/01/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 736 meeting dated 03.04.2024,
Location of the Project	Latitude - 22°46'41.5"N Longitude 75°51'27.4"E.
Name of Applicant	Shri Karan Singh Chhabra, Director, 11th Floor, C21 Business Park, C21 Square, Opposite Radisson Blue Hotel, MR-10, INDORE (M.P.) 452010 .
Project details	M/s. Century 21 Office Space Pvt. Ltd. is proposing Construction Of "C21 Paradise" Commercial project at Plot No. 33, Scheme No. 139, Super Corridor, Indore (M.P.) Cat. 8(a) Building Construction Projects.
Total land area	5400 sq.m.
Total Built-up Area	27721 sq.m
Reference EC	Case No. – 5704/2018 M/s IDA Scheme No. - 139, Indore, EC issued by MPSEIAA Vide letter No. 1882 dated 27 /12 /2018.
Water requirement & Sources	Total water requirement – 80.67 KLD Municipal corporation through IDA
Fresh Water	Fresh water supply – 41.45 KLD
Waste water generated	69.68 KLD
Recycled Water	Treated/Recycled Water 39.22 KLD
Capacity & Technology of STP	Total wastewater generated from the project will be 69.68 KLD. This will be treated in MBBR technology STP of 80 KLD capacity.
RWH	02 recharge pits will be constructed for harvesting rain water.
Solid Waste Generation	Total waste 565.3 Kg/day, this consist all types of wastes (as

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

	Organic waste 339.18 Kg/day and non- organic waste 169.59 Kg/day), Inert waste 56.5 Kg/day, E- waste 1684.8 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposedoff as per provision made in the MSW Rules 2016
Building Height	45 m high-rise building
Parking	Total Parking- 345 ECS(Open Parking-67ECS Basement parking - 278ECS)
Railway Station: Nearest Airport:	Laxmi Bai Nagar Railway Station Indore -3.62km, Airport -Devi Ahilya Bai Airport 7.83 KM
Envt. Sensitivity: Areas which are important or sensitive for ecological reasons Wetlands, water courses or other water bodies, biospheres, mountains, forests etc.	Khan River situated at a distance of 1.3 km
Project Cost	5100 Lakhs.
EMP Cost	For Environment Management Plan PP has proposed Rs.. 60 Lacs as capital and Rs. 49 Lacs as recurring cost for this project.
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 108.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	2519 KW Source: Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. DG Sets of 2x2000 KVA each Transformer of 2x2000 KVA each
Greenbelt area	Total 200 trees shall be planted in the area of 650 sq.m. (12 % of total plot area) within the project site

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल के माध्यम से लैंड अलॉटमेंट सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गए है।
- SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024के कार्यवाही विवरण में STP की capacity त्रुटिवश 180 KLD अंकित है, जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 80 KLD किया जाना मान्य किया जाता है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 के कार्यवाही विवरण में तालिका में CER का amount रु.102 lakh है जबकि शीर्ष विन्दु पर 108 लाख है।परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल के माध्यम से CER का बजट रु 108 लाख के अनुसार विवरण प्रेषित किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- परियोजना हाई राइज भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है एवं परियोजना हल से देवी अहिल्या बाई हवाई अड्डा 7.83 कि.मी दूरी पर है अतः नियमानुसार सिविल एविएशन अथॉरिटी से भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु इंदौर विकास प्राधिकरण के समन्वय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करें।

18. Case No. 10559/23: Prior Environment Clearance for Proposed Expansion in Existing Manufacturing Plant of polyester chips manufacturing by M/s Montage Enterprises Private Limited, Plot No L1, Ghirongi Industrial Area, Malanpur, Distt.-Bhind (M.P.), Petroleum products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking) Product & Capacity: Polyester Chips 72000 to 86000 TPA by Mr. Kishan Kumar Gupta, General Manager, M/s MONTAGE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot No L1, Ghirongi Industrial Area, Malanpur, Distt. - Bhind (M.P.). 477114. IND2/459317/2024. Cat.: 5(e)

- यह परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2006 को जारी ईआईए अधिसूचना और उसके संशोधनों की 5 (ई) श्रेणी बी के अंतर्गत शामिल है। परियोजना श्रेणी बी है क्योंकि यह अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

2. प्रस्तावित विस्तार परियोजना एल-1, धिरोंगी, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, में स्थित है। परियोजना के लिए 12.293 हेक्टेयर भूमि कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया पहले से ही उपलब्ध है।
3. परियोजना पर्यावरण स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौजूदा उत्पादों का उसी सुविधा में विस्तार एवं अतिरिक्त उपकरणों का स्थापना एवं संशोधन करने हेतु प्रस्तावित है।
4. परियोजना की मौजूदा एवं प्रस्तावित उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है :-

Product Details	Existing & Quantity/MTA	Product	Proposed Product & Quantity/MTA	Total Quantity/MTA after Expansion
	Bottle grade polyester-10000		No change	10000
	Polyester Chips -72000		14000	86000
			Total	96000

5. SEAC की 690 वीं बैठक दिनांक 17.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 817 वीं बैठक दिनांक 10.11.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2130 दिनांक 01.12.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
6. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 14 से 25 तक अंकित है।
7. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/IND2/459317/2024.
Date of submission of application	05.02.2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	736 SEAC Meeting dated 03.04.24
Location of the Project	latitude 26°22'7.61"N and longitude 78°17'8.77"E
Description of the project	It is an expansion in the existing manufacturing plant. The plant shall add production of Polyester Chips. The product is categorized as category-B, 5(e) activity.
1. Airport Gwalior 2. Nearest Railway Station	Airport (9.71 km), SW Malanpur Railway Station (3.52 km), NW
Plot Area	Total plot area of the company is 12.293 ha
Production capacity	96000 MT per Annum
Total Water Consumption	Total Water consumption will be 599 KL/day
Net fresh Water Consumption	The fresh water requirement of 489 KLD for the proposed project

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Source of Water Supply	MPIDC Ghirongi, Malanpur, Industrial Area.
Waste Water Generation	103 KLD
Treatment Facility proposed	Montage Enterprises Limited proposes a ZLD plant, thus there will be no effluent generation from the plant premises. To achieve this, unit will install following treatment facilities. A) 125 KLD ETP with Clarifocculator
Source of power supply	Madhya KshetraVidyutVitaran Co Ltd., Bhopal
Power Requirement	The total power requirements after expansion for project will be 2250KVA. DG sets 1x2050 kVA, 1x2000 kVA & 1x 1500 kVA shall be equipped
Solid & hazardous waste management	The unit will provide adequate designated storage area for the hazardous waste storage within premises having impervious floor, roof cover system. The hazardous waste is being disposed through the MPPCB approved /authorized recyclers/Pre-processors/TSDf site.
Odour management	<ul style="list-style-type: none"> All liquid raw materials shall be handled in drums & tanks and used as per MSDS. Volatile materials shall be stored in closed containers to minimize volatile emission causing odour. It will be ensured that there is no leakage spillage or exposure of chemicals. 36 % Green belt also developed at site it is also help to control of odour
Green belt (sq.m)	Total of 45225.55 m2 area has been developed as a greenbelt being it approx. 36.79% of total plot area.
CER Cost	Under CER activity, capital cost is Rs. 17.0 lakhs proposed for different activities
Estimated Project Cost	Existing Cost- 6075 Lakhs Proposed Cost-1700 Lakhs Total after expansion-7775 Lakhs
EMP Cost	The proposed EMP cost is Rs. 170.0 lakhs and 82.0 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 5.0 lakhs.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1 प्राधिकरण की 840वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

i- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी से CTO का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।



(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ii- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- iii- Solid/Hazardous waste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
- iv- समिति के समक्ष की गई प्रतिवद्धता के अनुसार 36.79% ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।
- v- कार्बन ब्लैक निर्माण के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तों/मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
- vi- इकाई के अंदर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें।

19. **Case No. 10583/23** Prior Environment Clearance for "Proposed Expansion of the Existing Rolling Mill production from 1, 50,000 to 1, 80,000 TPA with Installation of Wire Drawing Mill, Pickling Plant and Annealing Plant within existing facility over an area of 60,000 sq.mt in (180000 MTPA) (164C), Village Bagdan, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) by Shri Pawan Khatri, HR Officer, M/s Mittal Corp Limited, R/o Plot No. 164C, Sector - III, Pithampur Industrial Area, Pithampur, District-Dhar (MP) – 454774. Cat. - 3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous). EIA. SIA/MP/IND1/460977/2024

1. यह इकाई मौजूदा रोलिंग मिल इकाई है, वर्तमान में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 164सी, सेक्टर -III, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर (मध्य प्रदेश)-3(a) Metallurgical Industries (ferrous and non ferrous)-के तहत S.Swirerod का निर्माण कर रही है।
2. पूर्व में MPSEIAA द्वारा पत्र क्र 398/EPCO-SEIAA/2012 दिनांक 21/06/2012 के माध्यम से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौजूदा सुविधा के भीतर वायर ड्राइंग मिल, पिकलिंग प्लांट और एनीलिंग प्लांट की स्थापना के साथ मौजूदा रोलिंग मिल उत्पादन का 1,50,000 से 1,80,000 टीपीए तक विस्तार किये जाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।
4. SEAC की 690 वीं बैठक दिनांक 17.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 817 वीं बैठक दिनांक 10.11.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2136 दिनांक 01.12.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था। तत्पश्चात पत्र क्र 2593 दिनांक 16.01.24 के माध्यम से ToR में संशोधन किया गया था।
5. परियोजना हेतु SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 को "rejection" किये जाने की निम्नानुसार अनुशंसा की गई है

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"The case was presented by Env Consultant Smt Alka Sharma M/s Enkay Enviro Services Pvt. Ltd. (formerly known as Enkay Enviro Services) Jaipur (Rajasthan) and Shri DK Gaur, Vice President online wherein PP submit the ownership of the industry is changed.

During presentation committee observed that ownership of the industry is changed hence, PP shall re-apply with change in valid ownership / management of the industry to the SEIAA. Hence, committee decided that this case is forwarded to SEIAA. Committee decided that this case can not be considered and forwarded to SEIAA for rejection".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. **Case No.- 9926/23:** Prior Environment Clearance for Development of Smart Industrial Township Pithampur Sector-07 (Investment Region Development and Management Scheme) At Pithampur District Dhar, Indore (M.P.) BY M. P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. LTD. Land Requirement (in Ha) Non-Forest Land [A]- 252 Ha., Forest Land [B] – 43 Ha. Total Land [A+B]- 295 Ha by Shri AJAY KUMAR JAIN, Executive Engineer, M P INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, 101, FIRST FLOOR, ATULYA IT PARK, KHANDWA ROAD, INDORE (M.P.), FoR-ToR Ammendment SIA/MP/INFRA1/462707/2024

1. यह एम पी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में के पीथमपुर जिला धार, इंदौर में (निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन योजना) प्रस्तावित स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर-07 के विकास के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. SEAC की 650 वीं बैठक दिनांक 08.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 793 वीं बैठक दिनांक 21.06.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 795 दिनांक 26.06.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था
3. अब परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करने के बाद, प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 453 हेक्टेयर से 295 हेक्टेयर हो गई। इसी तरह वन क्षेत्र में भी हुई है, पहले इसमें 58 हेक्टेयर शामिल था जो 43 हे. हो गया है, जिसके लिए एफ.सी. क्लीयरेंस भी प्राप्त किया जाएगा। परियोजना की अन्य सभी सुविधाएँ अपरिवर्तित रहेंगी।
4. SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2023 (विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 27 से 29 पर अंकित है।) में पीपी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना के भूमि में निम्नलिखित संशोधनों को शामिल करने के साथ संशोधन करने की सिफारिश की गई है:-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Description	Reference	Existing	Proposed / Amendment	Reason
Land Requirement	Page1 Point 2	453 Ha land with 58 Ha in Forest	295 Ha land with 43 Ha in Forest	Change in Layout Plan
Approved ToR	Page 1 Point 3	Fire Station, Police Station, Hospital, Bank, Post Office Plug and Play, Shops, Hotel, Club, Resort and School	Only Industrial and Commercial Park with Parking and general amenities	Change in Layout Plan
Layout Plan and KML Change	TOR	453 Ha	295 Ha	Change in Layout Plan

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 650th dated 08.06.2023.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा प्रकरण में 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2023 में की गई अनुशंसा व पूर्व में सिया द्वारा जारी पत्र क्र 795 दिनांक 26.06.23 को ToR में संशोधन को मान्य करते हुए पूर्व शर्तों को यथावत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित विन्दुओं में संशोधन कर पुनःसंशोधित ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।

21. **Case No. P-2/536/24** Prior Environment Clearance for Residential Township at Pithampur Sector 7 Area - 661.3 ha by Shri Nageshwar Rajput, Executive Engineer MPIDC, RO INDORE 1st Floor Atulya IT Park, Khandwa Road- Indore, Indore (M.P.). 452010, -Proposal No. SIA/MP/INFRA2 /456419/2023., Cat.: 8(b) Townships/ Area Development Projects / Rehabilitation Centres. FoR- TOR

- यह पीथमपुर सेक्टर 7 क्षेत्र -661.30 हेक्टेयर, श्रेणी: 8 (बी) टाउनशिप / क्षेत्र विकास परियोजनाओं/पुनर्वास केंद्रों में आवासीय टाउनशिप के क्षेत्र विकास परियोजना के लिए एम.पी. औद्योगिक विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।
- परियोजना हेतु SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 29 से 32 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि परियोजना के एरिया में परिवेश पोर्टल के आवेदन (690 हेक्टेयर) एवं सम्बंधित दस्तावेज में विषमता है। लैंड सम्बंधित दस्तावेज 388.881 हेक्टेयर हेतु प्रस्तुत किये गए हैं। SEAC की बैठक की कार्यवाही विवरण में 661.30 हेक्टेयर अंकित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फॉर्म IA एवं conceptual प्लान सबमिट नहीं किया

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित लैंड एरिया को स्पष्ट करें एवं फॉर्म IA एवं conceptual प्लान को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

22. Case No. - 10663/2023: Prior Environment Clearance for Proposed Project for Manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates in an area of 0.36 ha. (252 TPA) (Khasra No. Plot 19 & 20), Village-Meghnagar, Tehsil-Meghnagar, District-Jhabua (M.P.) by Shri Shah Monik Mahesh, Director, M/s Eshyasi Pharma Limited, Plot no. 19 & 20, Industrial Area, Meghnagar District-Jhabua (MP)-457779 - EIA Presentation

1. यह परियोजना प्लॉट नंबर 19 एवं 20 पर 0.36 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया मेघनगर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स के उत्पादन (252 TPA) के लिए प्रस्तावित है।
2. SEACकी 696 वीं बैठक दिनांक 22.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToRजारी किये जाने हेतु अनुशांसा को SEIAAकी 819वीं बैठक दिनांक 06.12.23में मान्य करते हुए पत्र क्र 2284 दिनांक 18.12.23के माध्यम से ToRजारी किया गया था।
3. उक्त प्रकरणकोराज्य स्तरीय विशेषज्ञमूल्यांकनसमितिकीबैठक 736 वींदिनांक 03.04.2024 मेंपर्यावरणस्वीकृतिहेतुअनुशांसितकियागया,उक्तबैठक की कार्यवाहीविवरणपृष्ठ क्र. 31 से 42 तक अंकित है।
4. ईमेल के माध्यम से दिनांक 02.05.24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया कि :-

"We are attaching herewith concerned pages from 736th SEAC meeting minutes. We had duly proposed discharge of Industrial Effluent to CETP Meghnagar in our EIA report. Also pleaded same during our presentation on 03rd April. However we were not granted discharge permission to CETP. Rather we were provided with condition to install MEE & ATFD, which is not acceptable to us and we have requested amendment of same to SEAC. Concerned pages from minutes of meeting herewith for your ready reference. For your updation Meghnagar CETP is to be issued CTO soon and thereafter we will also be granted permission by SEAC/ SEIAA. We therefore request you to kindly Postpone / keep on Hold our SEIAA appraisal, until we are allowed with condition to discharge to CETP."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

23. Case No. P-2/550/24: Prior Environment Clearance for Proposed Manufacturing of APIs, Intermediates and Specialty Chemicals, is proposing production of APIs. Total Plot Area of - 6250 M2 Capacity – 6190 TPA. Plot No.- M6, Malanpur (CT) (M.P.), Tehsil – Gohad, Distt.-Bhind(M.P.) by Shri Yogendra Kumar Chauhan, Director, M/s. Plaksha Industries Private Limited, FH-8, Survey No. 798/1, 3rd Floor, Avantika,

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Ghaziabad, Ghaziabad (U.P.) 201002. FoR.ToR Cat. - 5 (f) Project SIA/MP/IND3/463755/2024. – TOR

1. यह परियोजना प्लॉट नंबर- एम6, मालनपुर तहसील-गोहद, जिला-भिंड (म.प्र.)में इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुरमें एकटिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स के उत्पादन (6190 TPA) के लिए प्रस्तावित है।
2. परियोजना हेतु SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 48 से 51 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाईयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाईयों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाईयों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।
3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
5. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
8. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIAप्रतिवेदन में शामिल करे।
9. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
10. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।


24. Case No. – P2/610/2024: Prior Environment Clearance for Khandwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 53,330 Ha. of CCA in Khandwa district. Total 84 Villages of Khandwa & Pandhana Tehsils of Khandwa District (M.P.) by Shri SANDEEP SHARMA, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 19 Bhikangaon, Khargone(M.P.), 451331.. ToR Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, SIA/MP/RIV/466031/2024


1. खंडवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना की लगभग 53330 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना से खंडवा जिले की खंडवा और पंधाना तहसील के कुल 84 गांव लाभान्वित होंगे और खंडवा जिले की हरसूद तहसील के नंदगांव गांव के पास आईएसपी जलाशय से पानी का लिफ्ट किया जाएगा।
2. परियोजना हेतु SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 52 से 54 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों एवं मानक शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- a) परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।
- b) प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
- c) सिंचाई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- d) ईंधन के सरंक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईंधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
- e) राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिपूरक वनरोपण (Compansatory Plantation) योजना यदि पेड़ काटे जाते हैं और हरित पट्टी विकास योजना की विस्तृत रिपोर्ट EIA में सम्मिलित करें।
- f) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- g) sitespecificmangementplan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे।
- h) sand की कमी को देखते हुए sandकेपुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे।
- i) प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
- j) संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या controlmeasures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
- k) रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियंत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIAमें करे।

25. **Case No. P2/611/2024:** Prior Environment Clearance for PROPOSED CONSTRUCTION OF "ALTUS BUSINESS PARK" Plot No. 03-04, Sector B, IDA Scheme NO. 169-B, Super Corridor, Indore (M.P.) at Village - Bada Bangarda, Tehsil- Malharganj, - 452001. Plot Area- 4367.74 M2., Total Built up Area – 22355.73 Sq.m. [Showrooms (34 nos.), Offices (134 nos.), Kiosk (1 nos.) and Food Shops (9 nos.)] by Shri Pranav Tosniwal, Director, SHREEGYANRUPA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, Pranav Tosniwal S/O Rajendra Tosniwal, Topkhana ,100 Mahatma Gandhi Marg, Indore, Indore Nagar, (M.P.) 452007. Cat. 8(a) Building Construction Projects. SIA/MP/INFRA2/465990/2024

1. यह प्लॉट नंबर 03-04, सेक्टर बी, आईडीए स्कीम नंबर 169-बी, सुपर कॉरिडोर, ग्राम-बड़ा बांगड़ा, तहसील-मल्हारगंज इंदौर (म.प्र.) में "अल्टस बिजनेस पार्क" के प्रस्तावित निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का लैंड एरिया 4367.74 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र 22355.73 वर्ग मीटर है।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 54 से 65 तक अंकित है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/465990/2024
Submission date	15/03/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 736 meeting dated 03.04.2024,
Location of the Project	Latitude 22°45'17.85"N Longitude 75°48'8.21"E
Name of Applicant	Shri Pranav Tosniwal, Director, SHREEGYANRUPA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, Pranav Tosniwal S/O Rajendra Tosniwal, Topkhana ,100 Mahatma Gandhi Marg, Indore, Indore Nagar, (M.P.)45200.
Project details	Prior Environment Clearance for PROPOSED CONSTRUCTION OF "ALTUS BUSINESS PARK" Plot No. 03-04, Sector B, IDA Scheme NO. 169-B, Super Corridor, Indore (M.P) at Village - Bada Bangarda, Tehsil- Malharganj, - 452001 Cat. 8(a) Building Construction Projects.
Building Configuration	.Showrooms (34 nos.), Offices (134 nos.), Kiosk (1 nos.) and Food Shops (9 nos.)
Total land area	4367.74 sq.m.
Total Built-up Area	22355.73 sq.m
Reference EC	EC 169-B., MPSEIAA Case No. 5515/2016. EC letter issued vide letter no. 768/MPSEIAA/2017 Bhopal dated 20/06/2017.
Water requirement & Sources	Total water requirement -57.79 KLD. Fresh water requirement -29.93 KLD. Recycled/Treated water requirement - 27.90 KLD. Municipal corporation through IDA
Capacity & Technology of	Total wastewater generated from the project will be 50.60

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

STP	KLD. This will be treated in MBBR technology STP of 65 KLD KLD capacity.
RWH	01 recharge pits will be constructed for harvesting rain water.
Solid Waste Generation	Total waste 422.65 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 253.59 Kg/day and non- organic waste 126.79 Kg/day), Inert waste 42.26 Kg/day, E- waste 305.82 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
Parking	Parking area – 7806.37 m2 Basement Parking -190 ECS Open Parking-35 ECS Stilt Parking-9 ECS Total Parking- 234 ECS
Railway Station: Nearest Airport:	Railway Station –7.48 KM, SE Indore Airport – 2.93 KM SSE
Env. Sensitivity: Areas which are important or sensitive for ecological reasons Wetlands, water courses or other water bodies, biospheres, mountains, forests etc.	There is a pipliyapala lake which is situated at a distance of 10.21 km There is no ecologically sensitive species of flora or fauna in the study area of 10 km. Ralamandal is at a distance of 15.67 km
Project Cost	4146 Lakhs
EMP Cost	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 466.0 Lacs as capital and Rs. 44.0 Lacs as recurring cost for this project
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs. 87.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	1700 KW Source: Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. 02 Diesel powers generating sets 2x125 kVA proposed as source of backup power
Greenbelt area	Total 200 trees shall be planted in the area of 400 m2 (12.13 % of total plot area) within the project site.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. परियोजना स्थल से देवी अहिल्या बाई हवाई अड्डा 2.93 कि.मी दूरी पर है अतः नियमानुसार सिविल एविएशन अथॉरिटी से भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- ii. परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु इंदौर विकास प्राधिकरण के समन्वय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- iii. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- iv. परियोजना में 2 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस - पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- v. प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- vi. भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

26. Case No. 612/2024 Prior Environment Clearance for Aditya Nexus Tech Park, at Khasra No. - 200/4/1, Village - BHANWARASLA Tehsil- Sawer, Total Land Area - 0.9518 Ha., Total Built-up Area - 55962 sqmtr by Shri Prakash Jain, S/O Late Ambalal Jain, 19/6/D, Vishram Colony, Indore - Distt. - Indore (M.P.) 452001. Cat. 8(a) Building Construction Projects. SIA/MP/INFRA2/467311/2024.

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर -200/4/1, ग्राम - भंवरसला तहसील - सांवेर जिला - इंदौर (म.प्र.) में "आदित्य नेक्सस टेक पार्क" के लिए श्री प्रकाश जैन, पुत्र स्वर्गीय अम्बालाल जैन, 19/6/डी, विश्राम कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.)- 452001. द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भूमि क्षेत्र - 0.9518 हेक्टेयर तथा निर्मित क्षेत्र 55962 वर्ग मीटर है।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 65 से 77 तक अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/467311/2024
Submission date	27/03/2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 736 meeting dated 03.04.2024,
Location of the Project	22°47'6.73"N 75°50'52.18"E 22°47'9.42"N 75°50'52.04"E
Name of Applicant	Shri Prakash Jain, S/O Late Ambalal Jain, 19/6/D, Vishram Colony, Indore - Distt. - Indore (M.P.) 452001.
Project details	Mr. Prakash Chandra Jain is proposing the Commercial Building "Aditya Nexus Tech Park" at Khasra number 200/4/1, Bhawrasla, Indore, Madhya Pradesh. Cat. 8(a) Building Construction Projects.
Building Configuration	Offices, Entertainment zone
Total land area	Total Plot Area: 9518.00 m2 Net Plot Area: 7540.00 m2
Total Built-up Area	Total Built up Area - 55962 m2
Building Height	60 m High Rise
Water requirement & Sources	Total Water Requirement: 191.42 KLD Fresh Water Requirement: 89.78 KLD Treated/Recycled Water Requirement: 101.64 KLD Source of Fresh Water: Indore Municipal Corporation
Capacity & Technology of STP	STP capacity: 165 KLD Sewage discharge: 146.68 KLD of water will be obtained after the recycling of wastewater out of which 76.36 KLD shall be utilized for the purpose of flushing, 5.27 KLD

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

	use in green area and 20 KLD shall be use in HVAC. However, the rest of 70.32 KLD treated water will be discharged to the municipal drains.
RWH	02 recharge pits will be constructed for harvesting rain water.
Solid Waste Generation	Total waste 1145.4 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 687.24 Kg/day and non- organic waste 343.62 Kg/day), Inert waste 114.54 Kg/day, E- waste 755.1 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
Parking	Total proposed Parking's arrangement for 459 ECS (Basement-I: 77 ECS, Basement:II- 77 ECS, Stilt Parking:I-89 ECS, Stilt Parking:II-89 ECS, Stilt Parking:III-89 ECS & open parking- 38 ECS).
Railway Station: Nearest Airport:	Railway Station -7.8 km, SSE Airport - 8 KM SW
Envt. Sensitivity: Areas which are important or sensitive for ecological reasons Wetlands, water courses or other water bodies, biospheres, mountains, forests etc.	There is a Saraswati river situated at a distance of 2.34 km
Project Cost	7625 Lakhs.
EMP Cost	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 915 Lacs as capital and Rs. 73.5 Lacs as recurring cost for this project.
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed R. 152.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	Transformer 2 x 2000 KVA Source: Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. 02 no DG sets of 505 KVA each
Greenbelt area	Total 200 trees shall be planted in the area of 780 m2 (12 %) within the project site.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 03.04.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-2 840 वीं SEIAA बैठक दिनांक 28.03.2024) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- परियोजना हाई राइज भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है एवं परियोजना स्थल से देवी अहिल्या बाई हवाई अड्डा 8.0 कि.मी दूरी पर है अतः नियमानुसार सिविल एविएशन अथॉरिटी से भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
- परियोजना में 2 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस - पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो। परियोजना प्रस्तावक अगर संभव हो तो पार्किंग एरिया को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

27. Case No. P-2/499/24 Prior Environment Clearance for Single Super Phosphate Fertilizer Unit Expansion (SSP, GSSP PLANT) Production Capacity (Total after Expansion) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT. At Plot-B, Jaggakhedi Industrial Area, Sanjeet Road, Jaggakhedi, Distt. – Mandasaur (M.P.), 458895 by Shri Raman Mathur, Director, M/s Mexican Agro Chemical Ltd., 9/2 South Tukoganj Behind Surya Hotel, Indore 452001., SIA/MP/IND3/459352/2024

- यह प्रकरण प्लॉट-बी, जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र, संजीत रोड, जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर (म. प्र.) में सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक इकाई के विस्तार (SSP, GSSP PLANT) उत्पादन क्षमता (विस्तार के बाद कुल) Existing SSP – 60000 MT Proposed SSP- 60000 MT Existing GSSP- 30000 MT मेट्रिक टन के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
- परियोजना हेतु SEAC की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024 को ToR "प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 77 से 79 तक अंकित है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. ईआईए रिपोर्ट में विभिन्न प्रस्तावित सुविधाओं की क्षमता और डिजाइन मानदंड के साथ विस्तृत लेआउट (ए-3 आकार) पर चर्चा करे।
2. विस्तार परियोजना में उपयोग की जाने वाली मशीनरी का विवरण ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
3. विभिन्न रसायनों के भंडारण के लिए लाइनर्स और फर्श का विवरण उनकी अनुकूलता के रूप में ईआईए रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।
4. ईआईए रिपोर्ट में घरेलू और औद्योगिक बहिस्त्राव के लिए जेडएलडी के प्रस्ताव को पूर्ण जल प्रबंधन के साथ प्रस्तुत करे।
5. CGWB से भू जल अनुमति की स्थिति और भू जल की उपयोग हेतु CGWA को प्रस्तुत आवेदन / प्राप्त NOC की प्रति EIA रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे। परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाई का पूर्ण विवरण एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन की कार्यवाही ईआईए रिपोर्ट में समावेश करें।
6. इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाईयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के क्रियाकलापों से इन स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
7. इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे।
8. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
9. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
10. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं काविवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
12. वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
13. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIAप्रतिवेदन में शामिल करे।
14. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
15. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

28. Case No. 11157/2024 Prior Environment Clearance for Proposed Commercial Project "Tattvam Mall" in an area of 1.9137 Ha. at (Khasra No. 48/1/2/part, 48/2/part, 58/2) Village-Kurmeri, TehsilSawer, District-Indore, (MP) by Shri Abhishek Modi, Director, M/s JKM INVESTMENT PRIVATE LIMITED, 64, Sree Ram Enclave, Kumerdi, District-Indore (MP)-452010

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 48/1/2/भाग, 48/2/भाग, 58/2 पर , कुमेरडी में, सांवेर इंदौर (मध्य प्रदेश) में वाणिज्यिक परिसर "तत्त्वम मॉल" के निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। कुल प्लॉट क्षेत्र 1.9137 हेक्टेयर कुल निर्मित क्षेत्र 54245.87 वर्ग मीटर।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र 1.9137 हेक्टेयर तथा निर्मित क्षेत्र कुल निर्मित क्षेत्र 54245.87 वर्ग मीटर है।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
4. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 80 से 94 तक अंकित है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/445117/2023.
Submission date	02.01.2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 736 meeting dated 03.04.2024,
Location of the Project	latitude 22°46'32.59"N- 22°46'37.89"N and longitude 75°51'37.83"E- 75°51'45.15"E.
Name of Applicant	Shri Abhishek Modi, Director, M/s JKM INVESTMENT PRIVATE LIMITED, 64, Sree Ram Enclave, Kumerdi, District-Indore (MP)-452010
Project Name	"Tattvam Mall" in an area of 1.9137 Ha. at (Khasra No. - 48/1/2/part, 48/2/part, 58/2) Village - Kurmeri, Tehsil-Sawer, District-Indore, (MP) [445117]. Total Plot Area - 19137 sq mtrs, Total Built up Area 54245.87 Sq.m. <u>Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>
Building Configuration	.shop, Food Court, Multiplex
Total land area	1.9137 हेक्टेयर
Total Built-up Area	Total Built up Area - 54245.87
Building Height	30 m
Water requirement & Sources	Total Water Requirement: 2,33,000Liter per day Fresh Water Requirement: 1,37,000 Liter per day Source of Fresh Water: Indore Municipal Corporation
Capacity & Technology of STP	1,06,000 Liter per Day (recycled water output from STP 96,000 LPD) Sewage shall be treated in the STP 130 KLD with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. The surplus treated water shall only be disposed in to municipal drain after having approval from the competent authority.
RWH	05 recharge pits will be constructed for harvesting rain water.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Solid Waste Generation	<ul style="list-style-type: none"> i. Solid waste (1132.20 KGD) shall be segregated into wet garbage and inert materials. ii. E-waste (300 Kg/Year) should properly dispose of through authorized vendors. iii. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
Parking	Parking's for 693 Nos. as proposed by PP over area of 23290 sq mtrs
Railway Station: Nearest Airport:	railway station-6.75 Km Airport – 11 km.
Project Cost	12000 Lakhs.
EMP Cost	In the EMP PP has proposed Rs. 198.40 lakh as capital cost and Rs. 31.605 lakh/year for recurring expenses in the operation phase.
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs. 40 Lakh under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	2200 KVA Source: Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd. 03 Nos. X 1010 KVADG SET.
Greenbelt area	The 1904 sq mtrs and peripheral plantation at 619 sq. meters of total area shall be provided for green belt development with 250 no. as per the details provided in the project document. There are 5 trees in bunch (02 neem and 03 Khajur) at site, which will not be cut down and along the above bunch ramp has been planned to protect the trees and provide aesthetic look to the proposed Mall

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 प्राधिकरण की 840 वीं बैठक दिनांक 03.04. 2024में अधिरोपित मानक शर्तों) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

- समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता अनुसार वृक्षों को प्रत्यारोपण किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

29. Case No 10747/2023: Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" in an area of 1.023 ha. (46378.45 sq.m.), Village- Indore City, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) by Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited, Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)- 462023, Cat. 8(a) Building Construction Projects. B2.

- यह परियोजना ग्राम-इंदौर शहर, तहसील-इंदौर, जिला-इंदौर (म.प्र.) में 1.023 हेक्टेयर क्षेत्र में वाणिज्यिक सह आवासीय हाई-राइज अपार्टमेंट "द ऑयस्टर विस्टा" के प्रस्तावित निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है। (वर्ग मी.),
- परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र 1.023 हेक्टेयर तथा निर्मित क्षेत्र कुल निर्मित क्षेत्र 46378.45 वर्ग मीटर है।
- ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000 वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत "बी" श्रेणी में सूचीबद्ध है।
- उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 736 वीं दिनांक 03.04.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 94 से 106 तक अंकित है।
- परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : -

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/INFRA2/447440/2023
Submission date	31.10.23
Case Considered in SEAC meeting for EC	SEAC 736 meeting dated 03.04.2024,

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

Location of the Project	A 22°43'18.24"N 75°53'9.18"E, B 22°43'16.55"N 75°53'12.99"E C 22°43'14.19"N 75°53'11.64"E, D 22°43'15.79"N 75°53'7.71"E
Name of Applicant	Shri Arun Agrawal, Director, M/s Oyster Realty Private Limited, Khasra no. Block No. 08 Manoramaganj (Palasyahana), Tehsil and District-Indore (MP)-462023
Project details	Oyster Realty Private Limited is proposing a Commercial Cum Residential High-Rise Apartment "The Oyster Vista" at Block No. 08 Manorama Ganj, Village Palasyahana, Tehsil and District Indore, Madhya Pradesh. The built-up area of the proposed project is 46378.45 m ²
Building Configuration	.Offices, Entertainment zone
Total land area	Total Plot Area : 10238.80 m ² Area under Road widening – 1153.60 m ² Net Planning Area – 9085.20 m ²
Total Built-up Area	Total Built up Area –46378.45m ²
Building Height	60 m High Rise
Water requirement & Sources	The total water requirement during operation phase is 96.6 KLD out of which 55.88 KLD is fresh water requirement and 72.8 KLD will be the total recycled water generated, out of which 36.16 KLD recycled water will be used for flushing, 4.6 KLD will used for horticulture. Source of Fresh Water: Indore Municipal Corporation
Capacity & Technology of STP	Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity - 90 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
RWH	02 recharge pits will be constructed for harvesting rain water.
Solid Waste Generation	Total waste 428.05 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 278.04 Kg/day and non- organic waste 139.02 Kg/day), Inert waste 46.3 Kg/day, E- waste 243.54 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वी बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

	provision made in the MSW Rules 2016.
Parking	Open Parking -21 Nos. Stilt Parking- 94 Nos Basement Parking- 136 Nos. Mezzanine Parking-60 Nos
Railway Station: Nearest Airport:	Railway Station -1.82 KM towards SW Airport -- Devi Ahilyabai Holkar Airport - 8.41 KM towards W.
Envt. Sensitivity: Areas which are important or sensitive for ecological reasons Wetlands, water courses or other water bodies, biospheres, mountains, forests etc.	Sirpur Lake- 6.91Km towards SW
Project Cost	60 Crore
EMP Cost	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 590.0 Lacs as capital and Rs. 92.0 Lacs as recurring cost for this project.
CER Cost	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 120.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).
Total power requirement & Source No. & Capacity of DG	About 2656 KW power will be required for the Project and it will be sourced from Madhya Pradesh pashchim Kshetra Vidyut Vitran company Ltd. 2 X 200 KVA.
Greenbelt area	Total 200 trees shall be planted in the area of 950 m ² (11.55 % of total plot area) within the project site.
Documents submitted by PP	
Landownership Documents	Registry copy of land submitted
T&CP Permission	Letter No. 674 dated 16/02/2024.
Undertaking No Construction	PP Submit undertaking affidavit dated 23/09/2023.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 848वीं बैठक दिनांक 02.05.2024
का कार्यवाही विवरण

start at site	
Consultant Authorization	affidavit Submitted
Building Permission	Letter No. – 0152/4616/2023 dated 19/09/2023.
T& CP Permission	Letter dated 17/11/2022. Copy uploaded on Parivesh Portal.& also obtained High-rise committee recommendation.
Extra Treated Water	Applied dated 06/10/2023
Water NOC	Applied dated 06/10/2023
MSW NOC	Applied dated 06/10/2023
Fire NOC	Letter dated 06/10/2023. Copy uploaded on Parivesh Portal.
OMMITMENT	Undertaking Date:21.10.2023 I hereby Declare that the existing construction are present at the site, we are committed that which will be dismantled before the starting of construction of Commercial Cum Residential High Rise Apartment Project "Oyster Vista" at Manoramagunj, Indore.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -2 प्राधिकरण की 840 वीं बैठक दिनांक 03.04.2024में अधिरोपित मानक शर्तों) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- समिति के समक्ष की गई प्रतिबद्धता अनुसार परियोजना स्थल पर पूर्व में किये गए निर्माण का अनिवार्य रूप से dismantled करें।
- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
- परियोजना हाई राइज भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है एवं परियोजना स्थल से देवी अहिल्या बाई हवाई अड्डा 8.41 कि.मी दूरी पर है अतः नियमानुसार सिविल एविएशन अथॉरिटी से भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- iv. परियोजना में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस - पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो। परियोजना प्रस्तावक अगर संभव हो तो पार्किंग एरिया को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।
- v. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ई-वाहनों हेतु परियोजना में विद्युत चार्जिंग पॉइंट प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
- vi. प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- vii. भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

30. प्रकरण क्र. 10992/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सैय्यद अफसार अली आत्मज श्री वाहिद अली, निवासी वाहिद विला, वाहिद नगर ओल्ड बायपास, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा पुराना 3/1/1/1, नवीन खसरा नं. 3/2, ग्राम सौवलियारुण्डी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 736 वी बैठक दिनांक 03.04.2024 में उक्त प्रकरण में की गई अनुशंसा अनुसार " अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 730वीं बैठक दिनांक 18/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित खसरा नं. 3/1/1/1 के स्थान पर 3/2, ओल्ड खसरा नं. 3/1/1 एवं न्यू खसरा क. 3/2 पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श एवं SEAC की उपरोक्त अनुशंसा को मान्य करते करते हुये प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 06.05.2024 में पुराना खसरा क. नं. 3/1/1 के स्थान पर नवीन खसरा क. 3/2 पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। ToR की शर्तें एवं वैद्यता यथावत रहेगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 10998/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पायल इन्टरप्राइजेस, प्रो. श्रीमती मिथलेश देवी, निवासी- नेहरू स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 8, जिला श्योपुर (म.प्र.), द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2376 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 148, 150, 151, ग्राम मठेपुरा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 736 वी बैठक दिनांक 03.04.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

प्रकरण समिति की 733वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें "लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी" उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 733वीं बैठक दिनांक 28/03/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित "लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी" के स्थान पर "लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित चिमनी प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी" पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श एवं SEAC की उपरोक्त अनुशंसा को मान्य करते करते हुये प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी" के स्थान पर "लीज क्षेत्र में चिमनी लगाना प्रस्तावित है। अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित चिमनी प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी" पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें एवं वैद्यता यथावत रहेगी । तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 11055/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वर्षा सूद, निवासी 25, आजाद नगर, देवास रोड़, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा नं. 188 ग्राम सुरजनवासा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। अतः प्रकरण को Defer किया जाता है। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष